परीक्षा वर्ष–2017 में ऑन लाईन आवेदन पत्र भरे जाने से सम्बन्धित दिशा–निर्देश

1. जिन मदरसों द्वारा वर्ष–2016 में मदरसे का रजिस्ट्रेशन किया गया है उनको पुनः रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। मदरसों के User Id & Passwod यथावत रहेंगे। यदि User Id & Passwod भूल गये हों, तो सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से सम्पर्क कर पुनः प्राप्त कर लें।
2. नवीन मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्र/ छात्राओं के आवेदन करने से पूर्व मदरसा का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरणोंपरान्त सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से Verify करवायें। इसके बाद User Id & Passwod पंजीकरण के समय अंकित किये गये मोबाईल न0 पर भेजा जायेगा। User Id & Passwod प्राप्त न होने की दशा में सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से सम्पर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।
3. परीक्षा फार्म केवल मान्यता स्तर तक के ही भरे जायेंगे।
4. किसी भी गैर अनुदानित मदरसे से उसके मान्यता स्तर तक 100 व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के फार्म जा सकेंगे।
5. जिन छात्र/ छात्रों ने वर्ष–2016 में परीक्षा दी है, उनका समस्त डाटा वेब साइट पर आपके Log-in पर उलब्ध है, और Old Student Registration लिंक पर Click करके छात्रों के परीक्षा फार्म भरे जायेंगे।
6. परीक्षा वर्ष–2016 में पंजीकृत समस्त छात्र/ छात्राओं के इनरोलमेंट नम्बर यथावत रहेंगे और वेबसाइट पर समस्त डाटा मौजूद है। ऐसे छात्र/ छात्रा जो परिषद की किसी परीक्षा में सम्मिलित हो रहें है वांछित संशोधन करते हुए परीक्षा फार्म भर सकते है।
7. ऐसे परीक्षार्थी जो प्रथम बार परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, छात्र/ छात्राओं का परीक्षा फार्म New Student Registration लिंक पर Click करके भरा जायेगा।

8. ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने वर्ष–2016 से पूर्व में परीक्षा दी हों, उन्हें भी नवीन छात्र के रूप में New Student Registration लिंक पर Click करके उनका फार्म भरा जायेगा।
9. ऐसे परीक्षार्थी जिन्हों ने वर्ष–2016 में परीक्षा दी हो, और उनके पास इंरोलमेंट न0 हैं तो उनके द्वारा केवल Old Student Registration लिंक पर Click करके ही भरा जायेगा।
10. प्रत्येक मदरसा के संस्थागत परीक्षार्थियों के संबंध में संतुष्ट हो लें कि इन छात्र/ छात्राओं द्वारा मदरसा में अध्ययन किया गया एवं पर्याप्त शिक्षक तथा कक्ष उलब्ध हों। यदि भविष्य में कोई तथ्य प्रकाश में आती है, तो ऐसे मदरसों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।
11. प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथियों में ही फार्म भरें। किसी भी दशा में परीक्षा फार्म भरने की तिथियों में कोई संशोधन नहीं किया जायेगा।
12. नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि एवं फोटोग्राफ की भली– भांति जांच कर लें।
13. परीक्षा फार्म तथा चालान भरने उपरान्त प्रिंट निकाल कर सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से अग्रसारित करायें। यह कार्य दिनांक 01.01.2017 से 10.01.2017 के मध्यम प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कर लें।